

WPC  
22/6



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रक्षा मंत्रालय/MINISTRY OF DEFENCE

कार्यालय, प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियां)

OFFICE OF THE PRINCIPAL CONTROLLER OF ACCOUNTS (FYS)

प्रशा- III/AN-III

10ए, एस के बोस रोड, कोलकाता - 700 001

10-A, S.K. BOSE ROAD, KOLKATA: 700001

E-mail ID: cda-cal@nic.in /aniii.dad@hub.nic.in

Phone No: (033) 2248-5077 to 5080 Extn-374

Website : www.pcafys.nic.in

FAX No. : (033) 2248-0991

भाग-II कार्यालय आदेश सं. Part-II O.O. No.	1577	दिनांक: Date:	06/11/2018
--	------	------------------	------------

विषय : एम.ए.सी.पी. योजना के तहत व.ले.प. (सीधी भर्ती लेखा परीक्षक) को तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करना ।  
Subject : Grant of 3<sup>rd</sup> Financial Up gradation under MACP scheme to Sr. Auditors (Recruited as Auditor fresh entrant).

\*\*\*\*\*

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं.35034/3/2008/स्था-(घ) दिनांक 19/05/2009 के द्वारा केंद्रीय सरकारी असैन्य कर्मचारियों के लिए प्रारंभ की गई एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एफ सं. 35034/3/2015 -स्था(घ) दिनांक: 28/09/2016 के प्रावधान के अनुसार वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.), कानपुर निर्माणी समूह एतद्वारा परिशिष्ट में उल्लिखित व्यक्तियों को 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने या व.ले.प. के पद पर द्वितीय पदोन्नति की तिथि से एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत उनके नामों के आगे उल्लिखित तिथि से संशोधन-पूर्व वेतन बैंड-2 में रु. 9300-34800 के वेतनमान में ग्रेड वेतन रु. 4800/- तथा 7<sup>th</sup> CPC वेतन मैट्रिक्स - 8 में प्रयोज्य लेवल पर तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करते हैं ।

The Controller of Finance & Accounts (Fys), Kanpur group of Factories, hereby approves the grant of 3<sup>rd</sup> financial upgradation under MACP Scheme as introduced by Government of India vide DOPT's O. M. No. 35034/3/2008 - Estt.(D) dated 19/05/2009 and also as per the provision vide DOPT's O. M. No. 35034/3/2015- Estt.(D) dated: 28/09/2016 for Central Govt. Civilian Employees in respect of Individuals as per details given in the 'ANNEXURE' in the ( Pre-revised) 6<sup>th</sup> CPC scale of Rs. 9300-34800 with the grade pay of Rs. 4800 in the Pay Band -2 , corresponding to the level-8 of revised Pay Matrix under 7<sup>th</sup> CPC w.e.f., the date shown against their name(s). Individual(s) has / have already either completed 30 years of regular service or completed 10 years in the same grade pay from the date of 2<sup>nd</sup> promotion/ Financial Up gradation.

एम.ए.सी.पी के अधीन व्यक्तिगत आधार पर ठीक उच्चतर ग्रेड वेतन / वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल पर संस्थापन केवल वित्तीय लाभ की स्वीकृति दी जाती है और जिसे संबंधित व्यक्ति की वास्तविक या कार्यात्मक पदोन्नति नहीं मानी जाएगी एवं इसका संबंधित व्यक्ति की वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा ।

The MACP Scheme contemplates merely placement on personal basis in the immediate higher grade pay/ corresponding to the level of Pay Matrix for grant of financial benefits only and shall not amount to actual or functional promotion of the concerned individual(s) and shall also have no relevance to individual's seniority position.

एम.ए.सी.पी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन होने पर उनका वेतन निर्धारण व्यय विभाग के का.जा. सं. 1/1/2008-आई.सी दिनांक 13/09/08 एवं का.जा. सं 1-6/2016-IC (Pt.) दिनांक 29/09/16 के अनुसार एफ आर 22(1) (ए) (1) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा । इसलिए संबंधित व्यक्ति को यह सुझाव दिया जाता है कि यदि उनका वेतन निर्धारण का कोई विकल्प हो तो निर्धारित समय सीमा के अंदर इस कार्यालय के प्रशा-वेतन अनुभाग को भेज दें ।



On financial up gradation under MACP Scheme, individual(s)' pay shall be fixed under the provision of FR 22(I) (a) (1) as per Deptt. Of Expenditures OM No. 1/1/2008(Pt.) dated 13/09/08 and OM No. 1-6/2016-IC (Pt.) dated 29/09/16. Individual(s) is/ are, therefore, advised to exercise option towards fixation of pay, if any and furnish the same to the AN Pay Section of this office within the specified period.

“ किसी भी त्रुटिपूर्ण वित्तीय उन्नयन की जानकारी बाद में मिलने पर वे वेतन एवं भत्ते की राशि का अंतर विभाग को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे/होंगी ।”

In the event of any erroneous financial up gradation noticed at later stage, individual(s) would be liable to refund the differences of Pay and Allowances to the Department.

उपर्युक्त आशय का वचनबंध उक्त व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसे प्राप्त कर अभिलेखित कर लिया गया है ।

An undertaking to this effect has been accepted by the individual(s) and the same has been obtained and recorded.

शुभंकर चटर्जी

(शुभंकर चटर्जी) / ( Subhankar Chatterjee)

वरि: लेखा अधिकारी(प्रशा) / Sr. Accounts Officer (AN)

सुमत

सं. 1071/प्रशा-III/एमएसीपी/ व.ले.प.- एमएसीपी प./खंड- III

दि: 06/11/2018

No. 1071/AN: III/MACP/SA-MACP/ Vol- III

dated: 06/11/2018

**अनुलग्नक / ANNEXURE**

Part-II O.O. No. 1577

Date: 06/11/2018

क्र.सं./ Sl.No	नाम, ग्रेड तथा ले.स./ NAME, GRADE & A/C NO	कार्यालय/ अनुभाग OFFICE/SECTION	तिथि से प्रभावी / DATE OF EFFECT
1	SHRI VIJAY KUMAR, SA/ 8331280	AO OF Kanpur	01.09.2018
2	SHRI MEDI LAL, SA/ 8331295	AO OCF SHAHJAHANPUR	01.09.2018

प्रतिलिपि / Copy to :-

1. र.ले.म.नि.,उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-10 / The CGDA, Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt-10.
2. प्र.र.ले.नि. (पेन्शन) इलाहाबाद / The PCDA(Pension), Allahabad.
3. र.ले.नि. (निधि), मेरठ / The CDA(Fund) Meerut.
4. प्रशा अनुभाग- स्थापना / प्रशा वेतन/ प्रशा-वेतन का वेतन निर्धारण ग्रुप/ वेबसाईट सेल/गोपनीय रिपोर्ट / सेवा पुस्तिका / AN Section: Estt. AN:II /AN:Pay/Pay fixation group of AN-Pay /  Cell / CR / SB.
5. गार्ड फाइल / Guard File
6. वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.) कानपुर निर्माणी समूह / The CFA (Fys), Kanpur group of Factories.
7. प्रभारी अधिकारी, लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, कानपुर/ आयुध वस्त्र निर्माणी,सहजहांपुर एवं संबंधित व्यक्ति के लिए प्रतिलिपि / The Officer in Charge : AO, OF Kanpur /AO OCF Shahjahanpur with a copy to the concerned individual.

शुभंकर चटर्जी

(शुभंकर चटर्जी) / ( Subhankar Chatterjee)

वरि: लेखा अधिकारी(प्रशा) / Sr. Accounts Officer (AN)

सुमत